(144)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्र.क्र...../2018

रामखेलावन तनय वृजकिशोर द्विवेदी आयु 71 वर्ष, निवासी ककरा, तहसील अमरपाटन, जिला–सतना म.प्र.....निगराकार/अनावेदक

III|निगरानी|सतना|भू.रा/2018/0854

बनाम

रामबख्श उर्फ रामप्रसाद तनय वृजकिशोर द्विवेदी, आयु 69 वर्ष, निवासी ककरा, तहसील अमरपाटन, जिला–सतना म.प्र.....गैरनिगराकार/आवेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

विरुद्ध सीमांकन पुष्टिकरण प्र.क्र.61ए12/2017 आदेश दिनांक 28.04.2017 पारित द्वारा प्रभारी राजस्व निरीक्षक मण्डल अमरपाटन, जिला–सतना म.प्र.

मान्यवर,

निगराकार/अनावेदक रामखेलावन द्विवेदी की ओर से निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :–

01–यह कि आवेदन पत्र में तारीख 28.03.2017 लिखकर दिनांक 11.04.2017 को गैरनिगराकार/आवेदक रामबख्श ने आ.नं.–672/2ख रकवा 0.032 हे. स्थित ग्राम ककरा, तहसील अमरपाटन के सीमांकन के संबंध में रामप्रसाद द्विवेदी के हस्ताक्षर से आवेदन प्रस्तुत किया गया था और तहसीलदार ने उसी दिनांक को सीमांकन करने का आदेश दिया था, सीमांकन आवेदन की प्रति संलग्न है।

क्रमशः.....2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/0854

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
20-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर के द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 61/अ–12/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.4.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा–5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि रामबख्श उर्फ राम प्रसाद तनय श्री बृज किशोर निवासी ग्राम ककरा का आराजी कमांक 672/2/ख का रकवा 0.032 है0 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत जो दिनांक 30.3.17 को सीमांकन किया गया और प्रकरण में दिनांक 15.4.17 आपत्ति की प्रतीक्षा में आदेश के लिये सुरक्षित रख लिया गया। दिनांक 15.4.17 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया और 28.4.17 को आदेश पारित किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 30.3.17 को स्थल पंचनामा तैयार किया गया है जिसमें यह लेख है कि आवेदित आराजी नं0 672/2/ख के अंष रकवा 2000 वर्ग कड़ी यानी 0.008 है0 में आवेदक रामखेलावन ककरा का गौशाला, शौचालय, पकका चबूतरा बना हुआ है और यह भी लेख है कि पंचनामें में	

रामखेलावन आवेदक ने हस्ताक्षर नहीं किया । कथित पंचनामे में रामबख्श अनावेदक के भी हस्ताक्षर नहीं है जबकि उसकी उपस्थिति में सीमांकन किये जाने का पंचनामा में उल्लेख हैं रामप्रसाद द्विवेदी के हस्ताक्षर स्थल पंचनामें में परिलक्षित होते हैं जो अनावेदक रामप्रसाद के प्रतिनिधि अथवा एजेन्ट है, ऐसा कुछ भी अभिलेख में नहीं हे और रामबख्श उर्फ रामप्रसाद ने पंचनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, यह भी उल्लेख नहीं है। आवेदक अधिवक्ता यह भी तर्क है कि प्रकरण में ग्राम ककरा का नजरी नक्शा और नजरी नक्शे के पश्चात फील्डबुक बनाई गई है, जिससे इतना स्पष्ट है कि सीमांकन बन्दोबस्ती नक्शे से नहीं किया गया है, नाप में कौन सा पैमाना प्रयुक्त किया गया है। अंत में अनुरोध किया गया है कि आदेश दिनांक 28.4.17 निरस्त कर पुनः सीमांकन किये जाने के आदेश प्रदान करें।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, अध्ययन से स्पष्ट है कि पंचनामा में आवेदक एवं अनावेदक के हस्ताक्षर नहीं है और प्रकरण में दिनांक 15.4.17 आदेश के लिये नियत की लेकिन आदेश दिनांक 28.4.17 को पारित किया गया। दिनांक 15.4.17 के दिनांक को आदेश पत्रिका में क्या कार्यवाही हुई उसका कहीं कोई विवेचना नहीं की गई है। सूचना पत्र में दिनांक 30.3.17 सीमांकन की पेशी नियत है तथा समय का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 28.4.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 61/अ–12/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.4.17 का निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि समीपवर्ती सहरहददी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये धारा 129 के प्रावधानों का पालन करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें ।

सदस्य